संख्या-03/2019/328/38-3-2019-6/2018

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च,2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपेक पत्रांक-112/बजट/पुनर्विनियोग/2018-19 दिनांक 11 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2018-19 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन व 102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के 01 वेतन मद में हो रही बचत के सापेक्ष पुनर्विनियोग से अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त कार्यालय(मुख्यालय)-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय), लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट)-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय), लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय), लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास -06-संग्रहीत जिला कार्यालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय), 09-विद्युत देय एवं 05- स्थानांतरण यात्रा व्यय में संलग्न पुनर्विनियोजन के अनुसार (बी0एस0-9 प्रपत्र) कुल धनराशि रू0 7,17,49,000/-(रू0 सात करोड सत्रह लाख उन्चास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही किया जाए तथा विशेष रूप से यात्रा-व्यय, गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा कार्यालय व्यय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता संबंधी नवीनतम जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाये। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाये। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्रदान करने के बाद ही किया जाये।

(2) पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय संबंधित मदों में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जाए।

(3) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अंतर्गतलेखा शीर्षक-2515 के अंतर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मद तथा मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2013, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

संख्या-03/2019/328(1)/38-3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

भवदीय
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
वित्तीय वर्ष 2018-19
प्रपत्र बी0एम0 09 (भाग-1)

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधि से प्रस्तावित संक्रमण।					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्षक (15 डिजिट के कोड में)	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-01-वेतन	64579.84	735.72	735.72	717.49	63862.35
योग:-	64579.84	735.72	735.72	717.49	63862.35
				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट के कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय)-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	77.91	110.37	32.46	32.46	110.37
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)- 52-	4079.68	4279.68	200.00	200.00	4279.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)					
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	73.59	97.09	23.50	23.50	97.09
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	882.02	1042.19	160.17	160.17	1042.19
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-09-विदयुत देय 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	717.68	1019.04	301.36	301.36	1019.04
अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00	28.23	18.23	0.00	10.00
योग	5840.88	6576.60	735.72	717.49	6558.37

(1) 03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट) के मानक मद 01-वेतन के अन्तर्गत धनराशि रू0 735.71 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

(2) इसी प्रकार 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) मद में 03-विकास आयुक्त(मुख्यालय) में रू0 32.46 लाख व 03 मुख्य अधिष्ठान(बलाक बजट) में रू0 200.00 लाख तथा 04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में रू0 23.50 लाख एवं 06-संग्रहीत जिला कार्यालय में रू0 160.17 लाख के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

(3) 06-संग्रहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत 09-विद्रयुत देय मद में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण लम्बित मांग के सापेक्ष रू0 301.36 लाख की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(4) इसी प्रकार 06-संगहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय मात्र रू0 10.00 लाख का बजट प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष रू0 18.23 लाख के स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मांग लम्बित होने के कारण रू0 18.23 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन होता है।

संख्या-आर0ई0657यू0ओ0/ई-2-188/दस-2019, दिनांक 15 मार्च, 2019

सेवा में,

महोलखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

केशव प्रसाद
उप सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-03/2019/328(1)/38-3-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन (तीन मूल प्रति सहित)।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद उ0प्र0।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम केशर यादव
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।